प्रेषक,

जिला बेसिकशिक्षा अधिकारी,
लखनऊ ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
टाइनी टाट्स कान्वेन्ट लखनऊ ।

पत्रांक आशुलिपिक / मान्यता / (519-2) /08-09/दिनांक 20/5/09

विषय:- प्राइमरी स्तर की अस्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में ।
========x========

महोदय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूच्य है कि राजाज्ञा संख्या 984/15-6-90-10एस (7)/89दिनांक 28 अप्रैल 1998 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत उप बेसिक शिक्षा अधिकारी /सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी लखनऊ /सहायक नगर शिक्षा अधिकारी लखनऊ की संस्तुति के आधार पर जिला मान्यता समिति द्वारा आपके विद्यालय की प्राइमरी स्तर ऐय कक्षा । से 5 तक की अस्थायी मान्यता जुलाई 08 से निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जाती है:-

1- विद्यालय समिति सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा समय समय पर समिति का नवीनीकरण कराया जाय ।

2- प्राभूत कोषएवं सुरक्षित कोष के निमित्त निर्धारित धनराशि /एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0के रूप में जमा हैतथा अधोहस्ताक्षरी के पद नाम बन्धक रहे ।

3- विद्यालय का निजी भवन एवं प्रत्येक कक्षों के लिए निर्धारित माप एवं उपयुक्त शिक्षण कक्षों की व्यवस्था की जाय ।

4- विद्यालय प्रशिक्षित अध्यापक/ अध्यापिकाओं की ही नियुक्ति विभाग द्वारा निर्धारित वेतनक्रम में की जाय । तथा वेतन भुगतान चेक के माध्यम से किया जाय ।

5- अध्यापक /अध्यापिकाओं की नियुक्ति अथवा निष्कासन में इस कार्यालय की पूर्वानुमति प्राप्त की जाय ।

6-विद्यालय में आवश्यकतानुसार काष्ठोपकरण / शिक्षण सामग्री/ विज्ञान सामग्री (क्रीडा सामग्री की व्यवस्था की जाय ।

7-विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्य पुस्तकों का ही प्रयोग किया जाय ।

8- विद्यालय में शिक्षाविभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल शुल्क लिया जाय ।

9-छात्रों के लिए खेलकूद मानक के अनुसार क्रीडा स्थल की व्यवस्था की जाय ।

10- विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पर दिये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्णतः पालन कराया जाय ।

विद्यालय की अस्थायी मान्यता उक्त प्रतिबन्धों के साथ प्रदान की जारही हैकि कृपया प्रतिबन्धों की पूर्ति कर संख्या सं01873/15-6-08-18एस(7)/89दिनांक 10सितम्बर 1998के अनुसार स्थायी मान्यता हेतु आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत करें ।

मान्यता की किसी भी शर्त अथवा विभागीय आदेशों व निर्देशों के उल्लघंन की दशा में मान्यता समाप्त किये जाने का अधिकार विभाग को सुरक्षित होगा ।

भवदीय,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारीलखनऊ ।

पृष्ठांकन आशुलिपिक / /08-09/दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यककार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1-जिला समाज कल्याण अधिकारी लखनऊ 2-जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारीलखनऊ
3- जिला पिछड़ा कल्याण अधिकारीलखनऊ 4-उप बेसिक शिक्षाअधिकारी लखनऊ
4-सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी ======= 6-नगर शिक्षा अधिकारी लखनऊ

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ ।

TINY TOTS CONVENT SCHOOL Principal Rasoolpur, Janki Puram Extn. Lucknow

Madhu

TINY TOTS CONVENT SCHOOL Manager Rasoolpur, Janki Puram Extn. Lucknow

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारीएवं
सदस्य सचिव,
मंडलीय मान्यता समिति,
षष्ट मंडल लखनऊ ।

सेवा में,

प्रबन्धक,

टाइनी टाट्स कान्वेन्ट लखनऊ ।

पत्रांक आशु0/ 1143-50 /08-09/दिनांक 17.5.09

विषयः- अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) अस्थायी मान्यता के सम्बन्ध में ।

==========x==========

महोदय,

शासनादेश संख्या 646/15-6-97-18एस(7)/89 दिनांक 13अगस्त 1997 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत मंडलीय मान्यता समिति के निर्णय के अनुसार आपके विद्यालय को कक्षा 6 से 8 तक अस्थायी मान्यता यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रदान की जाती है ।प्रत्येक कक्षा हेतु एक वर्ग की अनुमति भी प्रदान की जाती है।

शासनादेश में विहित मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु निम्नांकित शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पद अनुमन्य होगें ।

1- प्रधानाध्यापक	एक पद
2- सहायक अध्यापक	चार पद
3- लिपिक	एक पद
4- चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	एक पद

सहायक अध्यापकों की चार संख्या में एक अध्यापक विज्ञानतथा एक भाषा का होगा । समस्त शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन का भुगतान चेक द्वारा बैंक के माध्यम से उनके खातों में अन्तरण के द्वारा किया जायेगा । विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापकों पर भविष्य निधि की योजना लागू की जानी चाहिए । उक्त जनशक्ति में त्रिभाषा/प्रसार / क्राफ्ट अध्यापक सम्मिलित माने जायेंगे । शासकीय एवं विभागीय आदेशों का पालन न करने की दशा में मान्यता प्रत्याहरण का अधिकारी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को होगा ।

भवदीय,

सदस्य -सचिव,
मंडलीय मान्यता समिति लखनऊ
एवं जिला बेसिक शिक्षाअधिकारीलखनऊ

पृष्ठांकन आशु0/ /08-09/दिनांक उपरोक्त तिथि

1- प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषितः-

1-अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
2-सचिव ,बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
3- संयुक्त शिक्षा निदेशक, षष्ट मंडल लखनऊ ।
4-मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) षष्ट मंडल लखनऊ ।
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी /जिला अल्पसंख्यक अधिकारी लखनऊ।
6-जिला पिछड़ाअधिकारी लखनऊ ।
7-उप बेसिक शिक्षाअधिकारी /क्षेत्रीय सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /शिक्षा अधीक्षक नगर क्षेत्र लखनऊ ।
8-लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ ।

सदस्य-सचिव,
मंडलीय मान्यता समिति लखनऊ एवं
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ

TINY TOTS CONVENT SCHOOL Principal Rasoolpur Jankipuram Extn. Lucknow

Madhu

TINY TOTS CONVENT SCHOOL Manager Rasoolpur Jankipuram Extn. Lucknow